येलो लाइन कैम्पेन/ई–मेल

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय,उ0प्र0।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2018–19/1896 लखनऊ/दिनांक 03.12.18

विषयः–राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अर्न्तगत जनपदों में समस्त सरकारी प्रतिष्ठानों को तम्बाकू मुक्त परिसर घोषित करते हुए तम्बाकू मुक्त जनपद घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आप अवगत है कि प्रदेश में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के अधिनियमों एवं उपनियमों का अनुपालन किया जा रहा है।

कृपया महानिदेशालय के पत्र संख्या–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2018–19/1556, दिनांक 26.07.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के नियमों एवं उपनियमों के प्रति जनमानस को जागरूक करने, मा0 प्रधानमंत्री महोदय के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम 'स्वच्छता अभियान' के दृष्टिगत आपके जनपद में येलो लाइन के माध्यम से प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठानों को यलो लाइन कैम्पेन के माध्यम से तम्बाकू मुक्त परिसर घोषित करते हुए गणतन्त्र दिवस के शुभ अवसर पर तम्बाकू मुक्त जनपद घोषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त के क्रम में प्रदेश के कुछ जनपदों में यलो लाइन कैम्पेन की सराहनीय गतिविधिया सम्पन्न की गयी, जो अत्यन्त ही प्रशंसनीय रही है।

कृपया मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–786/तीन–18–06(09)/18, दिनांक 12 अक्टूबर, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रदेश के समस्त सरकारी प्रतिष्ठानों में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग को पूर्णयाः प्रतिबन्धित किया गया है।

अतः मुख्य सचिव महोदय के उक्त शासनादेश, सचिव महोदया, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 05.07.2018 में दिये गये निर्देशों एवं महानिदेशालय स्तर से पूर्व में प्रेषित उक्त पत्र के अनुपालन में पत्र के साथ संलग्न प्रारूपों एवं माइक्रोप्लान के अनुसार जनपद में यलो लाइन कैम्पेन के माध्यम से समस्त सरकारी प्रतिष्ठानों को तम्बाकू मुक्त परिसर घोषित करते हुए गणतंत्र दिवस के (26 जनवरी, 2018) शुभ अवसर पर जनपद को तम्बाकू मुक्त जनपद घोषित करना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित प्रमाण पत्र महानिदेशालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे कि उक्त गतिविधियों की सूचना शासन स्तर पर उपलब्ध करायी जा सके।

उक्त के सम्बन्ध में तकनीक सहयोग हेतु श्री विवेक अवस्थी, अधिशाषी निदेशक, यू0पी0वी0एच0ए0, लखनऊ (ई–मेल–upvhalko@gmail.com) से सम्पर्क किया जा सकता है।

भवदीय

निदेशक(स्वास्थ्य)

पत्रांकः–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2018–19/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
2– मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
3– स्टाफ ऑफिसर, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0।
4– श्री विवके अवस्थी, अधिशाषी निदेशक, यू0पी0वी0एच0ए0, लखनऊ।

संयुक्त निदेशक(स्वास्थ्य)

येलो लाइन कैम्पेन/ई–मेल

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय,उ0प्र0।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2018–19/ लखनऊ/दिनांक 03-12-18

विषयः–राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अर्न्तगत जनपदों में समस्त सरकारी प्रतिष्ठानों को तम्बाकू मुक्त परिसर घोषित करते हुए तम्बाकू मुक्त जनपद घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आप अवगत है कि प्रदेश में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के अधिनियमों एवं उपनियमों का अनुपालन किया जा रहा है।

कृपया महानिदेशालय के पत्र संख्या–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2018–19/1556, दिनांक 26.07.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के नियमों एवं उपनियमों के प्रति जनमानस को जागरूक करने, मा0 प्रधानमंत्री महोदय के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम 'स्वच्छता अभियान' के दृष्टिगत आपके जनपद में येलो लाइन के माध्यम से प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठानों को यलो लाइन कैम्पेन के माध्यम से तम्बाकू मुक्त परिसर घोषित करते हुए गणतन्त्र दिवस के शुभ अवसर पर तम्बाकू मुक्त जनपद घोषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त के क्रम में प्रदेश के कुछ जनपदों में यलो लाइन कैम्पेन की सराहनीय गतिविधिया सम्पन्न की गयी, जो अत्यन्त ही प्रशंसनीय रही है।

कृपया मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–786/तीन–18–06(09)/18, दिनांक 12 अक्टूबर, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रदेश के समस्त सरकारी प्रतिष्ठानों में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग को पूर्णयाः प्रतिबन्धित किया गया है।

अतः मुख्य सचिव महोदय के उक्त शासनादेश, सचिव महोदया, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 05.07.2018 में दिये गये निर्देशों एवं महानिदेशालय स्तर से पूर्व में प्रेषित उक्त पत्र के अनुपालन में पत्र के साथ संलग्न प्रारूपों एवं माइक्रोप्लान के अनुसार जनपद में यलो लाइन कैम्पेन के माध्यम से समस्त सरकारी प्रतिष्ठानों को तम्बाकू मुक्त परिसर घोषित करते हुए गणतंत्र दिवस के (26 जनवरी, 2018) शुभ अवसर पर जनपद को तम्बाकू मुक्त जनपद घोषित करना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित प्रमाण पत्र महानिदेशालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे कि उक्त गतिविधियों की सूचना शासन स्तर पर उपलब्ध करायी जा सके।

उक्त के सम्बन्ध में तकनीक सहयोग हेतु श्री विवेक अवस्थी, अधिशाषी निदेशक, यू0पी0वी0एच0ए0, लखनऊ (ई–मेल–upvhalko@gmail.com) से सम्पर्क किया जा सकता है।

भवदीय

निदेशक(स्वास्थ्य)

पत्रांकः–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2018–19/1897-1900 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
2– मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
3– स्टाफ ऑफिसर, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0।
4– श्री विवके अवस्थी, अधिशाषी निदेशक, यू0पी0वी0एच0ए0, लखनऊ।

राजुमन्त निदेशक(स्वास्थ्य)